राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] Ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांकः– सर./कृषि/20/2020–21–　　　　　　　　दिनांकः–03.02.2021

fufonk& lpuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में रबी 2020–21, जायद 2021 व खरीफ 2021 में उत्पादित अनाज की विभिन्न जिन्सों हेतु पल्लेदारी के कार्य करवाने के लिए मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 24.02.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक मय धरोहर राशि रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) प्रति खण्ड बैंक ड्राफ्ट जो कि "u'kuy lhMl dkjikjs'ku fyfeVM] Ljnkjx<" के नाम से सूरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी। पल्लेदारी की दरें प्रति क्विंटल के आधार पर देनी होगीं।

प्राप्त निविदाऐं उसी दिन निर्धारित तिथि पर 3.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी, उत्पादित होने वाली फसलों व कार्यों का विवरण इस प्रकार से है :–

Ø-l-	Qly	vuekfur ek=k			dk;Z fooj.k
		खण्ड 4	खण्ड 5		
1	रबी 2020–21	25000.00	25000.00	क्विंटल	बोरी भरना, तुलाई करना, सिलाई करना, फार्म के ट्रक/ट्राली में लादना, उतारना व गोदाम में 18 बोरियों तक का चट्ठा लगाना।
2	जायद 2021 व खरीफ 2021	15000.00	15000.00	क्विंटल	
	dqy &	40000-00	40000-00	fDoVy	

उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236/–(including 18% GST) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तें की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइड से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु.236/–(including 18% GST) का ड्राफ्ट देना होगा। बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी।

ukV & vijkgu 2-00 ct d ckn dkbZ V.Mj Qke ugh fn;k tk;xk o 3-00 ct d ckn dkbZ Hkh V.Mj Qke Lohdkj ugh fd;k tk;xkA

lgk;d çcU/kd ¼mRiknu½

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2019–20–   दिनांकः –

iYysnkjh dk;Z dk fu;e o 'krsZ

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में धरोहर राशि रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार मात्र) **ifr [k.M cSd Mk¶V** के रूप में जो कि "**u'kuy lhMl dkjiksjs'ku fyfeVsM] ljnkjx<+**" के नाम से सुरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी। जिसका फार्म का दर न्यूनतम होगा उसे सफल निविदादाता माना जायेगा। सफल निविदादाता घोषित होने के बाद यदि निविदादाता किसी भी कारण से निविदा वापिस लेता है अथवा कार्य करने से मना करता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त कर ली जायेगी।
2. परिस्थितियों को देखते हुए उसी दिन खुली बोली निविदादाताओं के समक्ष की जा सकती हैं। बोली समाप्त होने पर निविदाऐं बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। शर्त नं. 01 के अनुसार मान्य निविदादाताओं को ही बोली में सम्मिलित किया जाऐगा।
3. रबी 2020–21, जायद 2021 व खरीफ 2021 इत्यादि में उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों की कुल अनुमानित मात्रा 80000.00 क्वि. है। यह मात्रा कम/ज्यादा भी हो सकती है तथा ठेकेदार को इसके अतिरिक्त भी उन्हीं दरों पर कार्य करना होगा।
4. पल्लेदारी कार्य के तहत निम्न कार्य ठेकेदार को करने पड़ेगें – 1. बोरी भरना,, 2. सिलाई करना, 3. ट्रक/ट्राली में लादना, 4. ट्रक/ट्राली से उतारना 5. गोदाम में 18 बोरी तक चटठे लगाना।
5. बोरी में अनाज 50 किलोग्राम एवं 70 से 90 किलोग्राम तक वजन की मात्रा, बोरी की क्षमता अनुसार भरना होगा।
6. निगम पल्लेदारी कार्य एक या एक से अधिक व्यक्तियों अथवा फर्म को भी ठेका अपनी सुविधा अनुसार दिया जा सकता है। यदि समय पर कार्य पूर्ण नही किया जाता तो पार्टी के खर्चे पर फार्म द्वारा अन्य किसी पार्टी द्वारा करवा लिया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होगें, इसके लिए पार्टी को रूपये 100/– (रूपये सौ मात्र) नॉन् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
8. ठेकेदार व उसके श्रमिकों को 24 घंटे उपरोक्त कार्य के लिए तैयार रहना होगा ताकि अचानक होने वाली बरसात/आंधी/तूफान आदि से पैदावार को नुकसान नहीं पहुँचे एवं शीघ्र अतिशीघ्र उपरोक्त कार्य पूर्ण हो सके। यदि कोई नुकसान श्रमिकों के उपलब्ध नही होने से होता है तो उसी कटौती गठित समिति द्वारा ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
9. ठेकेदार को किये गये कार्य के भुगतान हेतु अपना बिल 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना होगा ताकि नियमानुसार उसको भुगतान करवाया जा सके एवं बीच–बीच में उसे कार्य के लिए कोई एडवांस नहीं दिया जायेगा।
10. असफल बोलीदाता को धरोहर राशि बिना ब्याज के टेण्डर के 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी व सफल बोलीदाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से सम्पन्न होने के बाद लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. सफल बोलीदाता उपरोक्त नियम व शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा एवं नियम व शर्तो को पूरा नहीं करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा व जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी। एवं ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अन्य कोई शारीरिक क्षति होने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा, फार्म की किसी भी प्रकारकोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
13. ठेकेदार को अपना PAN नम्बर उपलब्ध करवाना होगा एवं नियमानुसार किसी भी प्रकार का टेक्स आदि बनता होगा तो जमा करवाना होगा।
14. निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ को बिना किसी कारण से किसी भी समय निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
15. यदि किसी कार्य को करते समय फार्म सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसकी लेबर द्वारा किया जाता है तो अनुमानित नुकसान की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
16. यदि निविदा में पंजीयत फर्म द्वारा भाग लिया जाता है तो फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के कागजात निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
17. कार्य की अवधि वर्ष 2021–22 तक रहेगी।

18 यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनो पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनो पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

lgk;d izca/kd ¼mRiknu½

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
निविदा पल्लेदारी कार्य हेतु
दिनांकः- 24.02.2021
खण्ड न0ः-...............
क्रमांक-....................

(रबी 2020-21, खरीफ 2021 व जायद 2021 इत्यादि)

फसल क्र.सं. कार्य का विवरण

दर प्रति क्विण्टल
भराई 50
किलों

भराई 70-90
किलो
रबी 2020-21,

खरीफ 2021 व

जायद 2021

1 बोरी भरना

2 सिलाइ Z करना

3 ट्रक/ट्राली पर लादना

4 ट्रक/ट्राली से उतारना

5 गोदाम में 18 बा ेरी तक
का चट्टा लगाना
कुल योग:-

हस्ताक्षर ....

ठेक ेदार का नाम .... पिता का नाम ....

पता ....

- -- - - - - - - - -

जिला .... मो. नं. .... पेन नः-..